UKRU050001512026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उखीमठ रूद्रप्रयाग।
प्रकीर्ण फौ0वा0संख्या–43/2026
राज्य बनाम शिव लाल।
CNR UKRU050001512026

थाना सोनप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग।
एन0सी0आर0 संख्या 03 वर्ष 2026
धारा 11(2) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता– श्री बीरेन्द्र दत्त गोस्वामी।

दिनांक– 24.07.2026

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी शिव लाल पुत्र स्व0 मासंतू, निवासी ग्राम पिठोरा, थाना गुप्तकाशी, तहसील उखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग, जरिए पुत्र धर्मेन्द्र पुत्र शिव लाल, निवासी ग्राम पिठोरा, थाना गुप्तकाशी, तहसील उखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग के द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र दत्त गोस्वामी, उसके घोड़े 638770 को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि चौकी भीमबली/सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 28.05.2026 को प्रार्थी का घोड़ा, जिसका रंग सफेद छुपकेदार है, जिसका टैग नम्बर 638770 है, को कब्जे लेकर स्थान फाटा में सीज किया गया है। प्रार्थी का लाइसेंस संख्या 138441 है। प्रार्थी का घोड़ा स्वस्थ है तथा प्रार्थी के घोड़े को सीज करने से उसके स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। जब से प्रार्थी का घोड़ा सीज हुआ है, बहुत कमजोर हो गया है और उसको दाना–पानी भी नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी का रोजगार का एकमात्र साधन उक्त घोड़ा है, जिसके सीज होने से प्रार्थी का रोजगार पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। प्रार्थी दिनांक 30.06.2026 को अपने सीज घोड़े को देखने पशु रुग्णालय केन्द्र फाटा गया तो प्रार्थी का घोड़ा स्वस्थ है। प्रार्थी के घोड़े को जानबूझकर अब तक सीज किया गया है। अतः उपरोक्त घोड़े को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त करने की याचना की गई।

3. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाना सोनप्रयाग से आख्या आहूत की गई। आख्या दिनांकित 19.07.2026 अनुसार, सैक्टर मजिस्ट्रेट श्री योगेन्द्र बल्लभ द्वारा भीमबली में दिनांक 29.05.2026 को थाना सोनप्रयाग में घोड़ा स्वामी/संचालक द्वारा स्थान भीमबली के पास चोटिल व अस्वस्थ घोड़े से यात्रियों को ले जाने के सम्बन्ध में एक तहरीर दी गई, जिस सम्बन्ध में थाना सोनप्रयाग में एन0सी0आर0 संख्या 03 वर्ष 2026 अन्तर्गत धारा 11(2) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 बनाम शिवलाल अभियोग पंजीकृत किया गया है।

4. पत्रावली पर पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, फाटा, रुद्रप्रयाग द्वारा जारी Animal Health Certificate दिनांकित 03.07.2026 संलग्न है, जिसके अनुसार, दिनांक 03.07.2026 को घोड़ा Tag No. **104616/638770** का मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें उपरोक्त घोड़ा उक्त पशु काफी कमजोर होना, सही तरह से चलने–फिरने में एवं कार्य करने हेतु उपयुक्त न होना पाया गया है।

5. सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

6. **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 35(3)** के उपबन्धानुसार–

"**Section 35(3). The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960:-**

35(1) .....

35(2) .....

35(3) An animal sent for care and treatment to an infirmary shall not, unless the magistrate directs that it shall be sent to a pinjrapole or that it shall be destroyed**, be released from such place except upon a certificate of its fitness for discharge issued by the veterinary officer in charge of the area in which the infirmary is situated or such other veterinary officer as may be authorised in this behalf by rules made under this Act.**

7. महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रार्थी का यह द्वितीय रिलीज प्रार्थनापत्र है एवं प्रार्थी का प्रथम प्रार्थनापत्र उपरोक्त घोड़े की अस्वस्थता के आधार पर दिनांक 19.06.2026 के द्वारा निरस्त किया गया था। पत्रावली पर संलग्न पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, फाटा द्वारा जारी Animal Health Certificate दिनांकित 03.07.2026 के अनुसार, उपरोक्त घोड़ा उक्त पशु काफी कमजोर होना, सही तरह से चलने–फिरने में तथा कार्य करने हेतु उपयुक्त न होना दर्शाया गया है। ऐसे में, जबकि पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, फाटा द्वारा जारी Animal Health Certificate के अनुसार उपरोक्त घोड़ा अस्वस्थ्य होना, अत्यधिक कमजोर होना तथा चलने–फिरने एवं कार्य करने हेतु अनुपयुक्त होना दर्शित है एवं द्वितीय प्रार्थनापत्र में भी ऐसे कोई नए तथ्यों का समावेशन होना दर्शित नहीं है, तद्नुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। तद्नुसार निम्नांकित आदेश पारित–

आदेश

प्रार्थी/घोड़ा स्वामी शिव लाल की ओर से घोड़ा टैग नम्बर **638770** को उसके पक्ष में निर्मुक्त किए जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत द्वितीय प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

(संतोष पच्छिमी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उखीमठ, रूद्रप्रयाग।